भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 742

05.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

तमिलनाडु पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क कम करने का प्रभाव

742 डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, जो ईवी, घटक और बैटरी निर्माण का प्रमुख केंद्र है, पर इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के आयात शुल्क को 115 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) क्या स्थानीय उत्पादन, रोजगार और निवेश पर पड़ने वाले जोखिमों के संबंध में तमिलनाडु सरकार या ईवी विनिर्माताओं से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) बाजार में विपथन रोकने के लिए, जिसमें कम लागत वाले आयातित ईवी की डंपिंग को शामिल किया गया है, प्रस्तावित उपाय क्या हैं; और

(घ) क्या तमिलनाडु के ईवी और बैटरी उद्योग की सुरक्षा हेतु सरकार स्थानीयकरण प्रोत्साहनों या सुरक्षा तंत्रों की योजना बना रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) तमिलनाडु राज्य के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है।

(ख) भारी उद्योग मंत्रालय को ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं मिला है।

(ग) 40,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा सीआईएफ कीमत वाले सीबीयू यात्री वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात कर 110% है और 40,000 अमेरिकी डॉलर तक सीआईएफ मूल्य वाले सीबीयू यात्री वाहनों के लिए 70% है।

(घ) भारी उद्योग मंत्रालय की ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (23.09.2021 को अधिसूचित) और इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम (29.09.2024 को अधिसूचित) इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मूल्य शृंखला के स्थानीयकरण को बढ़ावा दे रही हैं।

*****